

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 सितम्बर 2010—भाद्र 15, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ-ए 1-13-2010-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

- (एक) अनुक्रमांक “तिरतालीस-बीस सूत्र कार्यान्वयन” का लोप किया जाए;
(दो) अनुक्रमांक साठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्:—
“इक्सठ—लोक सेवा प्रबंधन”

2. अनुसूची में,—

- (एक) शीर्षक “तीनतालीस-बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग” और उससे संबंधित भाग तथा प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
(दो) शीर्षक साठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, भाग तथा प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“इक्सठ—लोक सेवा प्रबंधन विभाग”

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय:—

1. लोक सेवाओं में सुधार तथा नवाचार.

2. “बीस सूत्रीय कार्यक्रम, 1986” के क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा समीक्षा करना.
3. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के निष्पादन के संबंध में भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना.
4. राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए बीस सूत्रीय कार्यक्रम समितियों का गठन.
5. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवृत्ति किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पैंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम:—

1. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2010 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.
2. मध्यप्रदेश लोक अधिकरण के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1980.
3. मध्यप्रदेश लोक अधिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1997.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय:—

1. अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, भोपाल.
2. सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम:—

कुछ नहीं

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय:—

कुछ नहीं

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों:—

1. अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, भोपाल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.
2. सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी”;

(तीन) शीर्षक “तेईस—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग” के अधीन.

(क) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 16 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“17 राज्य/जिला/विकासखण्ड तथा ग्राम स्तरीय अंत्योदय समितियों से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग ”;

(ख) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“10. मध्यप्रदेश लोक अधिकरणों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991.”

11. मध्यप्रदेश लोक अधिकरणों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1-13-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-13-2010-एक(1), दिनांक 6 सितम्बर 2010 का हिन्दी का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th September 2010

No. F-1-13-2010-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,—

- (i) serial number “XLIII-20 Points Implementation” shall be omitted;
- (ii) after serial number LX and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely:—

“LXI-Public Service Management”.

2. In the Schedule,—

- (i) heading “XLIII-20 POINTS IMPLEMENTATION DEPARTMENT” and parts and entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) after heading LX and entries relating thereto, the following heading, parts and entries shall be inserted, namely:—

“LXI-Public Service Management Department

(A) Matters of policy dealt within the Department:

1. Improvement and innovations in Public Services.
2. Review & monitoring of progress of Implementation of the “Twenty Points Programme, 1986.”.
3. To ensure follow-up action according to instructions issued from time-to-time by the Government of India, Ministry of Statistics and Programme implementation in regard to execution of Twenty Points Programme.
4. Formation of Twenty Points Programme Committees at State/District/Block level and for Urban Areas.

5. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pension, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

(B) Acts and Rules administered by the Department:

1. The Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Praday Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 and the Rules made thereunder.
2. The Madhya Pradesh Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se Bis Sutriya Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1980.
3. The Madhya Pradesh Lok Abhikarannon Ke Madhyam Se Bis Sutriya Karyakram Ka Karyanvayan Niyam, 1997.

(C) Directorates and offices coming under the Department:

1. Atal Bihari Vajpayee Lok Prashasan Sansthan, Bhopal.
2. School of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal.

(D) Boards and Corporations set up under Acts:

NIL

(E) Other institutions and bodies not covered under (D) above:

NIL

(F) Name of the Service, if any, coming under the Department and special service matters, if any:—

1. Class I, II, III, IV services and contingency paid Employees of Atal Bihari Vajpayee Lok Prashasan Sansthan, Bhopal.
2. Class I, II, III, IV services and contingency paid Employees of School of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal.”;

(iii) under the heading “XXIII-Planning, Economics and Statistics Department”,—

- (A) In part (A), after serial number 16, the following serial number and related entry shall be inserted, namely:—
- “17. Review and Monitoring of activities related to State/District/Block and Village level Antyodaya committees.”;
- (b) In part (B), after serial number 9, the following serial numbers and related entries shall be added, namely:—
- “10. The Madhya Pradesh Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se Dindayal Antyodaya Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991.
11. The Madhya Pradesh Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se Dindayal Antyodaya Karyakram Ka Karyanvayan Niyam, 1991.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.